

पदक उच्च मानकों का प्रदर्शन है, जिसके लिए पुलिस बल प्रतिबद्ध है : दिनेश एम.एन.

पुलिस अलंकरण समारोह-2०25 : स्टेट क्राइम ब्रांच के 1९5 पुलिस अधिकारी एवं कार्मिक को मिले पदक व सेवा चिन्ह

जयपुर। आमेर रोड़ पर जलमहल के सामने स्थित सीआईडी सीबी लाईन में गुरुवार प्रातः आयोजित अलंकरण समारोह में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एम एन ने सीआईडी अपराध शाखा के 1९5 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, राजस्थान पुलिस सेवा पदक, उत्कृष्ट व अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा उत्तम, अति उत्तम एवं सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

एडीजी एम एन ने इस अवसर पर सम्मानित होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि आपने अपने कर्तव्य निष्ठा, साहस एवं समर्पण के माध्यम से विशिष्ट पहचान बनाई है। आपके द्वारा प्राप्त किए गए यह पदक केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक ही नहीं बल्कि उस उच्च मानक को भी प्रदर्शित करता है, जिसके लिए हमारा पूरा पुलिस बल प्रतिबद्ध है। आपका उदाहरण दूसरे पुलिसकर्मीयों को भी अपना उच्चतम प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है।

गुरुवार को आयोजित अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट, सराहनीय एवं प्रशंसनीय सेवाएँ प्रदान करने वाले 6 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, एक पुलिसकर्मी को राजस्थान पुलिस सेवा पदक, 8 को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 9 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 27 पुलिस कर्मियों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 32 पुलिस कर्मियों को अति उत्तम सेवा चिन्ह एवं 112 पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर



आमेर रोड़ पर जलमहल के सामने स्थित सीआईडी सीबी लाईन में गुरुवार प्रातः आयोजित अलंकरण समारोह में 1९5 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया।

सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा परम ज्योति व सचेंद्र सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रहलाद कृष्णिया एवं एसपी लक्ष्मण दास, राजेश कांवट, सतनाम सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श चौधरी, उप निरीक्षक राजेश कुमार, शर्मा, महेश कुमार टांक, हेड कांस्टेबल सायर सिंह, कांस्टेबल मनीषा कुमारी व राजेश कुमार यादव को एवं राजस्थान पुलिस सेवा पदक से हेड कांस्टेबल चन्द्र सिंह को सम्मानित किया गया।

अति उत्कृष्ट सेवा पदक से उप निरीक्षक कबीर खान, मोहम्मद यूसुफ खान, एएसआई कांता देवी, त्रिलोक चंद, हेड कांस्टेबल भौर लाल शर्मा, कांस्टेबल कजोड़ मल सैनी, सुनीता माथुर व मुफर्रूद्दीन को सम्मानित किया गया।

उत्कृष्ट सेवा पदक से पुलिस

निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह, महेश कुमार, कांस्टेबल ललित कुमार, मनोहर लाल, कांस्टेबल चालक रमेश दत्त यादव, मधुरेश कुमार कसाना, जगदीश प्रसाद व गौरी शंकर त्रिपाठी को सम्मानित किया गया।

इनमें उप निरीक्षक बंशीधर, एएसआई बुद्धि प्रकाश, सुदेश यादव, यादराम शर्मा, उरजा राम, हेड कांस्टेबल सुखदेव, शैलेंद्र सिंह, सुनील कुमार शर्मा, कमलेश कुमार, रामचंद्र यादव, मनोहर लाल, सुरेश कुमार, शाहिद अली, हरि सिंह करनावत, राम अवतार, महेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, उम्मेद सिंह व राजकुमार व कांस्टेबल विश्राम मीणा, नंद सिंह, रंगलाल, हेड कांस्टेबल चालक हेमंत सिंह, कांस्टेबल चालक जगदीश प्रसाद, दिनेश चंद, जगदीश कुमार व रमेश दत्त शामिल हैं।

अति उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित होने वालों में उप निरीक्षक स्नेह लता, मनीषा, एएसआई शैलेंद्र कुमार शर्मा, कांता देवी, हेड कांस्टेबल विकास

चाहर, कृष्णा नायक, महेश कुमार, मुख्यावर अहमद, प्रदीप कुमार, सुशीला यादव, सुमेर सिंह, जाकिर हुसैन, नंद सिंह, रघुनाथ, कांस्टेबल मनोहर लाल, सपना राठौड, मनीषा कुमारी, ओम कंवर, बीजराज, भगवान सिंह, राम अवतार, मोहन सिंह, अनिल कुमार, सुदेश चौधरी, भरतपाल यादव, सुनीता कुमारी, अरविंद कुमार, पुखराज, ओम प्रकाश, विजय पाल, रामफल व मूलचंद शामिल हैं।

उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित होने वालों में इंस्पेक्टर कैलाश चंद मीणा, एएसआई रणवीर सिंह, हेड कांस्टेबल जस्साराज, ताराचंद, दिनेश सिंह, महेंद्र कुमार, बाबूलाल सैनी, रामावतार मीणा, नरेश कुमार, लाली देवी, प्रकाश कंवर, सुनीता बाबल, रमेश कुमार वर्मा, महेंद्र पाल, आशीष कुमार, मेनका, विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह, पुनिया चंद्र, प्रकाश, राजेंद्र बाबू, मोना कुमारी चौधरी, अचला छीपा, मनीष शर्मा एवं कांस्टेबल चालक मुकेश जाट को सम्मानित किया गया।

विद्युत उत्पादन निगम में कनिष्ठ अभियन्ता और कनिष्ठ रसायनज्ञ की अन्तिम चयन सूची जारी

जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कनिष्ठ अभियन्ता-प्रथम (मैकेनिकल) के 24 पदों, कनिष्ठ अभियन्ता-प्रथम (फायर एण्ड सेफ्टी) के 2 पदों और कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के विद्युत निगमों में सीधी भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभियन्ता संवर्ग के पदों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को राजस्थान के विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। तत्पश्चात् 19 अप्रैल को ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जारी कर कुल रिक्तियों के लगभग 2 गुणा अभ्यर्थियों को 26 से 29 अप्रैल तक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया गया था। आज 8 मई को कनिष्ठ अभियन्ता-प्रथम (मैकेनिकल/फायर एण्ड सेफ्टी) तथा कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों के लिए अंतिम परिणाम जारी करते हुए सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। समस्त अभ्यर्थी अपने प्रार्षांक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से देख सकते हैं तथा इस संबंध में सभी चयनित अभ्यर्थियों को एसएमएस एवं ई-मेल पर भी सूचना दी गयी है।

चिकित्सा विभाग के सभी कार्मिकों के अवकाश निरस्त

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सभी चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के अवकाश आगामी आदेशों तक निरस्त कर दिए हैं। साथ ही, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सीमावर्ती एवं अन्य क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से विभाग ने एहतियात कदम उठाते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश

‘महिला को नहीं किया जा सकता पदोन्नति से वंचित’

जयपुर। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि आज भी समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह व्याप्त है। महिलाओं को लूढ़कियों के साथ कई तरीकों से भेदभाव हो रहा है। जबकि यह दुनिया एक समान है, जहां सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने वाले प्रवधानों को दूर करने के लिए नीतिगत निर्णय लेकर कार्रवाई करे। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल पद पर उस दिन से पदोन्नत करने को कहा है।

कोर्ट परिसर में बदमाश ने युवक को पीटा

जयपुर। सदर थाना इलाके में पेशी के दौरान पुलिस के सामने ही सेशन कोर्ट परिसर में बदमाश ने एक युवक के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस के अनुसार पडासौली बस्सी निवासी युगल किशोर मीणा ने मामला दर्ज करवाया कि उसने भवानी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

इस मामले में गिरफ्तार भवानी सिंह को पुलिस सेशन कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर आई थी। पेशी के दौरान आरोपी ने पुलिस की मौजूदगी में ही उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पूर्व में बस्सी थाने में मुकदमा नम्बर 251/2025 दर्ज करवाया था।

आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने मुकदमा घमस नहीं लिया तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा और उसे जान से मार देगा। इस पर पीड़ित ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एसपी सदर धर्मवीर सिंह को सौंपी गई है।

सार-समाचार एसबीआई लाइफ के हैक-एआई-थॉन से बदलेगा बीमा का भविष्य

नई दिल्ली। आजकल हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवाओं में एआई को लेकर खास रुझान देखा जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत की प्रमुख निजी जीवन बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने हैक-एआई-थॉन का पहला संस्करण लॉन्च किया है। यह देशभर में चलने वाली एक नवाचार पहल है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से जीवन बीमा क्षेत्र को नया स्वरूप देना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से तकनीकी छात्रों को ग्राहक अनुभव में सुधार, उत्पाद की पहुंच बढ़ाने और घोखाधड़ी रोकने जैसे व्यावसायिक मुद्दों पर नए समाधान पेश करने का संच मिल रहा है। एसबीआई लाइफ के ब्रांड और सीएसआर प्रमुख रविंद्र शर्मा ने कहा कि जब अलग सोच के लोग एक साथ आते हैं, तभी नवाचार की असली शुरुआत होती है। यह पहल युवा प्रतिभाओं को बीमा की वास्तविक चुनौतियों पर काम करने और तकनीक के सहयोग से समाधान पेश करने के लिए प्रेरित करती है।

ऑटो रिव्शा चोरी करने वाला एक एचएस गिरफ्तार



जयपुर। लालकोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो रिव्शा चोरी करने वाले एक एचएस फईम खान उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चुराया गया एक ऑटो रिव्शा भी जब्त किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार एचएस फईम के खिलाफ जयपुर शहर के अलग-अलग थानों में नौ से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वी गौतम ने बताया कि लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो रिव्शा चोरी करने वाले एक एचएस फईम खान उर्फ शाहरुख निवासी एमडी रोड लालकोठी जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

विधायक पटेल का प्रकरण सदाचार समिति को निर्दिष्ट : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बागीदौरा क्षेत्र से विधायक जय कृष्ण पटेल के प्रकरण को राजस्थान विधान सभा की गरिमा को प्रश्नगत करने वाले आचरण की जांच के लिए राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति को निर्दिष्ट किया है।

देवनानी ने कहा है कि राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक ने विधानसभा को सूचित किया है कि विधानसभा में लगाए गए प्रश्न को हटाने की एवज में विधायक पटेल द्वारा रिश्तत मांग किए जाने की पुष्टि होने एवं

रिश्तत राशि के बीस लाख

रुपए प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1९88 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 238 बीएनएस-2023 में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

देवनानी ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम 253 खा, खा के तहत संबंधित शिकायत की जांच हेतु प्रकरण को विधानसभा की सदाचार समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

इस कार्यक्रम में पूर्व शहर मंत्री

राजू माथुर, मंडल अध्यक्ष राजकुमार

शर्मा, पाषंद मंजू राकेश बागड़ा, वार्ड

संयोजक दशरथ सिंह बानूड़ा,

रामरतन प्रधान, अमित शर्मा,

अभिषेक सोनी, महेश यादव, अनिता

शर्मा, कौशल्या चौधरी, नीलम

अग्रवाल, कोमल मेंठानी, आशीष

बागड़ा, राकेश खांडल, अध्यक्ष

गोपेश्वर सेवा समिति प्रेम नारायण

यादव, कन्हैया यादव राजकुमार

गोयल, वार्ड 38 पाषंद हेमेंद्र शर्मा,

युवराज शर्मा उपस्थित रहे।

जयपुर। सिविल लाइन विधानसभा

के वार्ड 36 मे विधायक गोपाल शर्मा

ने वार्ड 3.6 के सुंदर पथ (क्रिस्टल

मॉल के बगल वाली गली) बड़ोदिया

बस्ती में इंटरलॉकिंग टाईल लगवाने

के कार्य का शुभारंभ हुआ।

इस कार्यक्रम में पूर्व शहर मंत्री

राजू माथुर, मंडल अध्यक्ष राजकुमार

शर्मा, पाषंद मंजू राकेश बागड़ा, वार्ड

संयोजक दशरथ सिंह बानूड़ा,

रामरतन प्रधान, अमित शर्मा,

अभिषेक सोनी, महेश यादव, अनिता

शर्मा, कौशल्या चौधरी, नीलम

अग्रवाल, कोमल मेंठानी, आशीष

बागड़ा, राकेश खांडल, अध्यक्ष

गोपेश्वर सेवा समिति प्रेम नारायण

यादव, कन्हैया यादव राजकुमार

गोयल, वार्ड 38 पाषंद हेमेंद्र शर्मा,

युवराज शर्मा उपस्थित रहे।

जयपुर। सिविल लाइन विधानसभा

के वार्ड 36 मे विधायक गोपाल शर्मा

ने वार्ड 3.6 के सुंदर पथ (क्रिस्टल

मॉल के बगल वाली गली) बड़ोदिया

बस्ती में इंटरलॉकिंग टाईल लगवाने

के कार्य का शुभारंभ हुआ।

इस कार्यक्रम में पूर्व शहर मंत्री

राजू माथुर, मंडल अध्यक्ष राजकुमार

शर्मा, पाषंद मंजू राकेश बागड़ा, वार्ड

संयोजक दशरथ सिंह बानूड़ा,

रामरतन प्रधान, अमित शर्मा,

अभिषेक सोनी, महेश यादव, अनिता

शर्मा, कौशल्या चौधरी, नीलम

अग्रवाल, कोमल मेंठानी, आशीष

बागड़ा, राकेश खांडल, अध्यक्ष

गोपेश्वर सेवा समिति प्रेम नारायण

यादव, कन्हैया यादव राजकुमार

गोयल, वार्ड 38 पाषंद हेमेंद्र शर्मा,

युवराज शर्मा उपस्थित रहे।

जयपुर। सिविल लाइन विधानसभा

के वार्ड 36 मे विधायक गोपाल शर्मा

ने वार्ड 3.6 के सुंदर पथ (क्रिस्टल

मॉल के बगल वाली गली) बड़ोदिया

बस्ती में इंटरलॉकिंग टाईल लगवाने

के कार्य का शुभारंभ हुआ।

इस कार्यक्रम में पूर्व शहर मंत्री

राजू माथुर, मंडल अध्यक्ष राजकुमार

शर्मा, पाषंद मंजू राकेश बागड़ा, वार्ड

संयोजक दशरथ सिंह बानूड़ा,

रामरतन प्रधान, अमित शर्मा,

अभिषेक सोनी, महेश यादव, अनिता

शर्मा, कौशल्या चौधरी, नीलम

अग्रवाल, कोमल मेंठानी, आशीष

बागड़ा, राकेश खांडल, अध्यक्ष

गोपेश्वर सेवा समिति प्रेम नारायण

यादव, कन्हैया यादव राजकुमार

गोयल, वार्ड 38 पाषंद हेमेंद्र शर्मा,

युवराज शर्मा उपस्थित रहे।

जयपुर। सिविल लाइन विधानसभा

के वार्ड 36 मे विधायक गोपाल शर्मा

ने वार्ड 3.6 के सुंदर पथ (क्रिस्टल

मॉल के बगल वाली गली) बड़ोदिया

बस्ती में इंटरलॉकिंग टाईल लगवाने

के कार्य का शुभारंभ हुआ।

इस कार्यक्रम में पूर्व शहर मंत्री

राजू माथुर, मंडल अध्यक्ष राजकुमार

शर्मा, पाषंद मंजू राकेश बागड़ा, वार्ड

संयोजक दशरथ सिंह बानूड़ा,

रामरतन प्रधान, अमित शर्मा,

अभिषेक सोनी, महेश यादव, अनिता

शर्मा, कौशल्या चौधरी, नीलम

अग्रवाल, कोमल मेंठानी, आशीष

बागड़ा, राकेश खांडल, अध्यक्ष

गोपेश्वर सेवा समिति प्रेम नारायण

यादव, कन्हैया यादव राजकुमार

गोयल, वार्ड 38 पाषंद हेमेंद्र शर्मा,

युवराज शर्मा उपस्थित रहे।

प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म मारपीट करने के साथ युवती को दी जान से मारने की धमकी

जयपुर। मालवीय नगर थाना इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय ने युवक ने एक युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी युवती के साथ मारपीट करने के साथ लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पुलिस

संविदाकर्मियों को वेतन नहीं देने पर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्लर्क, हेल्पर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और सुपाईकर्म के पद पर कार्यरत संविदाकर्मियों को एक साल से मासिक वेतन नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने चिकित्सा निदेशक को कहा है कि वह शपथ पत्र पेश कर बकाया वेतन नहीं देने का कारण बताए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 14 मई को रखते हुए विभाग को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं के बकाया वेतन का भुगतान करे।

मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एसपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया के अनुसार मंडा सीकर निवासी 21 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज करवाया कि वह जयपुर में किराए से रहकर प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी कर रही है। यासीर खान ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म

किया। आरोपी ने पूर्व में युवती को अलग नाम बताया था। आरोपी ने युवती के साथ मारपीट करने के साथ उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इस पर युवती ने जब पता किया तो आरोपी दूसरे समुदाय का निकला। इस पर पीड़िता थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

न्यायमित्र सुधीर गुप्ता ने ने कहा कि कोचिंग सेंटरों के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने का सिलसिला चल रहा है। इस साल अब तक 14 विद्यार्थियों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस पर केन्द्र सरकार ने कहा कि इस संख्या का सत्यापन करने की आवश्यकता है। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाविधक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मामले में कानून लाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जाए दूसरी ओर कोचिंग सेंटरों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता

पास कुहाड़ ने कहा कि कानून बनने की प्रक्रिया लंबित होने के कारण अदालत को इसमें दुखल नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए 16 जनवरी, 2014 को गाइड लाइन जारी की जा चुकी है और उसे राज्य सरकार अपनाने का निर्णय भी कर चुकी है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी पेश करने को कहा है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 14 मई तक इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई पर कानून बनने तक गाइड लाइन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 14 मई तक इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई पर कानून बनने तक गाइड लाइन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 14 मई तक इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई पर कानून बनने तक गाइड लाइन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 14 मई तक इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई पर कानून बनने तक गाइड लाइन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 14 मई तक इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई पर कानून बनने तक गाइड लाइन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 14 मई तक इस साल आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अदालत में पेश करे। वहीं अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई पर कानून बनने तक गाइड लाइन को लागू करने पर विचार किया जाएगा। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुर